



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 1970/फाल्गुन 2, 1891
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21, 1970/PAALGUN 2, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

सं. टिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 3 फरवरी, 1970 तक प्रकाशित किये गये।

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published upto the 3rd February, 1970.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
14.	G.S.R. 183, dated 31st January, 1970	Ministry of Finance	The Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1970.
15.	G.S.R. 184, dated 1st February, 1970	Do.	Determination of rates of exchange for foreign currency.
	सा० का० नि० 184, दिनांक 1 फरवरी, 1970	वित्त मंत्रालय	विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए दरें, प्रवधारित करना।
16.	G.S.R. 185, dated 2nd February, 1970	Rajya Sabha Secretariat.	Amendment in the Rajya Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1957.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st January 1970

G.S.R. 253.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III—posts) Recruitment Rules, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1776, dated the 30th November, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III—posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III—posts) Recruitment Rules, 1964, after Serial No. 61 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

S. No	Particulars of the posts			Methods of recruitment and percentage of vacancies to be filled by up			Qualifications etc. for direct recruitment		Period of probation	Qualifications etc. for recruitment by promotion/transfer		
	Name of the post	Classification, Character and status of the post	Scale of pay of the post	Direct recruitment	Promotion: Selection.	Seniority / fitness	Transfer	Age Limit	Educational and other qualifications required	Whether age and educational qualifications for direct recruitment will apply in case of recruitment by promotions/transfer	Grades/ Sources from which transfer is to be made	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Junior Reception Officer	General Central Service. Class III. Non-gazetted Non-Ministerial	Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300.	100%	18—25 years	Essential : Matriculation or equivalent of a recognised University or Board Desirable : A degree or equivalent from a recognised University	Two years	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Studio Executive	General Central Service Class III Non-gazetted Non-Ministerial.	Rs. 130—5—160— —8—200— EB—8— 256—EB— 8—280—10— 300	100%	18—25 years.	Essential : Matriculation or equivalent of a recognised University or Board Desirable : A degree or equivalent from a recognised University	Two years	Not applicable	Not applicable

[No. 7/8/66-B(A)]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1970

जी० ए३० आर० 253 :-संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1776, तारीख 30 नवम्बर, 1964 में प्रकाशित आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा ।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 61 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित रखा जाये:—

क्रम संख्या	पदों का विवरण			भर्ती पद्धतियां तथा जिस अनुपात से रिक्तियां भरी जानी हैं।			
	पद का नाम	पद का वर्गीकरण, स्वरूप तथा दर्जा	पद का वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा स्थानान्तरण चयन प्रवृत्ता/ योग्यता		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जूनियर स्वागत अधिकारी	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी, अराज- पत्रित, अलिपिक वर्गीय	130-5-160- -8-200- द०अ०-8- 256-द०अ०-8 280-10- 300 रुपये	100 प्रतिशत	---	---	---
2.	स्टूडियो एक्जीक्यूटिव	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी, अराज- पत्रित, अलि- पिक वर्गीय	130-5-160-8 200-द०अ०- 8-256-द० अ०-8-280- 10-300 रुपये	100 प्रतिशत	---	---	---

आयु सीमा	शैक्षणिक तथा अन्य अर्हतायें	परिबीक्षाधीन अवधि	पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये अर्हतायें	द्वारा अर्ती आदि
			सीधी अर्ती के लिये जो आयु और शैक्षणिक अर्हतायें हैं, क्या वे पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा की जाने वाले अर्ती के लिये भी लागू होगी ।	वे ग्रेड/जोत जिनसे पदोन्नति/स्थानान्तरण किया जाना है ।
9	10	11	12	13
18 से 25 वर्ष तक	आवश्यक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष ।	१ वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	वांछनीय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सनातक या इसके समकक्ष ।			
18 से 25 वर्ष तक	आवश्यक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	वांछनीय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ।			

[सं० एफ० 7/8/66-बी(ए)]

ए० बी० नारायणन्, अवर सचिव ।